

okf.kfT; d i fj l j] u; k jk[kh l DVj&25] u; k  
jk; i g ea fofHkUu vkdkj dh nqkuka dk vkcaVu  
vkonu vka=.k l ipuk  
, Oa  
vkonu i zi =

vkonu vka=.k l ipuk dka d 2123@6/2/631@l i nk@, uvkj Mh, @2015  
u; k jk; i g] fnuka d 20@04@2016



Uk; k jk; i g Mgyi ea/ vFkkfj Vh  
dfi Vy dkElyDI ] l DVj&19] u; k jk; i g 1/4N-x-1/2 & 492002

nj Hkk"k 0771-2511500, QDI 0771-2511400 b&esy : ceo@nayaraipur.com,

oc l kbV & [www.nayaraipur.gov.in](http://www.nayaraipur.gov.in)

# npkuka ds vkca/u grq vkonu vka=.k l ipuk

vkonu i i = fuEukfdr dks tkjh &

ed l @Jh \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

vkonu i i = 'kq/d %& : i ; s 500@& %: i ; s i kp l ks ek=1/2

euh j l hn cpl ua \_\_\_\_\_, j l hn ua \_\_\_\_\_, fnukad \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2016

ed; dk; i kyv vf/kdkjh  
Uk; k jk; i g Mgyi ea/ vFkkfj Vh  
u; k jk; i g

## fMLkDyej

1. प्रस्तुत दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह आवेदन में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा और जानकारी मात्र के लिए है।
2. दस्तावेजों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है तथापि, यह आवेदन भरने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह जानकारियों के संबंध में स्वयं सत्यापन कर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त कर लेवे। यदि दस्तावेजों में वर्णित किन्ही जानकारी या शर्तों में कोई कमी या विरोधाभास प्रतीत हो रहा हो तो उसे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित सूचना के द्वारा जानकारी प्रदान की जावे, अन्यथा यह माना जायेगा कि हितग्राही द्वारा दस्तावेजों के पर्याप्त एवं पूर्ण होने के संबंध में संतुष्टि प्राप्त कर ली गयी है।
3. आवेदन दस्तावेज अनुबंध नहीं है और न ही कोई ऑफर है। ये दस्तावेज आवेदन जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्ताव तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किये गये है। ये दस्तावेज सभी व्यक्तियों के उद्देश्य और आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उपयुक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अतः आवेदन भरने वाले व्यक्ति से अपेक्षा है कि समस्त जानकारियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं परामर्श प्राप्त करने के उपरांत आवेदन भरें।
4. आवेदन दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, चूक आदि के लिए नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी या उसके अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे और इन कारणों से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. आवेदन आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से किसी आवेदन को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
6. किसी आवेदक या सभी आवेदनकर्ताओं को बिना कारण बताये आवेदन अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पास सुरक्षित है।
7. नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विभागीय वेबसाईट [www.nayaraipur.gov.in](http://www.nayaraipur.gov.in) में सूचना प्रकाशित करते हुए, स्व-विवेक से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है। उक्ताशय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी।



u; k jk; i j Mogyiea/ vFkkWj Vh

jkt/kkuh i fj l j] l DVj & 19] u; k jk; i j 14N-x-1&492002

दूरभाष : 0771-2511500 फ़ैक्स नं. 0771-2511400 ई-मेल [ceo@nayaraipur.com](mailto:ceo@nayaraipur.com)

[www.nayaraipur.gov.in](http://www.nayaraipur.gov.in)

Øekd 2123@6/2/631@l i nk@, uvkjMh, @2015]

u; k jk; i j]

fnukd 20@04@2016

Uk; k jk; i j ea i fj; kst uk i Hkkfor i fjokjka dks nplkuka ds vkca/u grq vkonu vka=.k l ipuk

- 1-0 नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित अथॉरिटी है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राजधानी नगर की प्लानिंग, विकास एवं प्रबंधन के लिए राज्य शासन द्वारा नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- 2-0 नया रायपुर का विकास “नया रायपुर विकास योजना – 2031” के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। विकास के अनुक्रम में अथॉरिटी द्वारा विभिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिए भवनों/सामाजिक/व्यवसायिक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में वाणिज्यिक परिसर, नया राखी सेक्टर-25, नया रायपुर में विभिन्न आकार के दुकानें प्रयोजना प्रभावितों को आबंटन किया जाना है।
- 3-0 नया रायपुर के वाणिज्यिक परिसर, नया राखी सेक्टर-25, नया रायपुर में विभिन्न आकार के दुकानों के आबंटन हेतु नया रायपुर परियोजना प्रभावित परिवारों से निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन आमंत्रण सूचना में दी गई तिथि के दोपहर 3.00 बजे तक उपरोक्त पते पर आमंत्रित है।
  - 3-1 आवेदन प्रपत्र जिनमें आबंटन की शर्तें आदि दी गई हैं, दुकानों के लिये निर्धारित शुल्क रू. 500/- जमा कर राजधानी परिसर, सेक्टर-19, नया रायपुर एनआरडीए कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र अहस्तांतरणीय है।
  - 3.2 आवेदन आमंत्रण सूचना में संशोधन किये जाने की स्थिति में सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाते हुए एनआरडीए के वेबसाइट [www.nayaraipur.gov.in](http://www.nayaraipur.gov.in) पर प्रकाशित की जायेगी।

4-0 ik=rk , oa vkca/u %&

4-1 एक परिवार के किसी एक सदस्य को केवल एक ही बार दुकान के आबंटन की पात्रता होगी। यदि किसी परिवार के किसी सदस्य को पूर्व में ही कोई दुकान का आबंटन किया जा चुका है तो उसे आबंटन की पात्रता नहीं होगी। ifjokj dh ifjHkk"kk ea ifr] ifRu , oa muds vo; Ld l rku l fefyr gkxA

4-2 दुकानों का आबंटन ifj;stuk iHkkfor ifjokjka ds p;fur fgrxkgh को निर्धारित प्रीमियम एवं वार्षिक भू-भाटक, जिसका विवरण नीचे कंडिका में दिया गया है, पर तीस वर्ष के लिये लीज पर आबंटित किया जायेगा। लीज की शर्तों का पालन किया जाना पाये जाने पर, पुनः 30 वर्षों की अवधि के लिये भू-भाटक में अधिकतम 100 प्रतिशत वृद्धि की शर्त पर दो बार नवीनीकरण योग्य होगा।

4-3 यदि दुकानों के लीज पर आबंटन के लिये परियोजना प्रभावितों के पर्याप्त आवेदन नहीं आते हैं तो दुकानों को निर्धारित शर्तों पर तीन वर्ष के लाइसेंस पर देने के लिये विचार किया जावेगा।

4-4 प्राप्त आवेदनों का प्रारंभिक परीक्षण किये जाने के उपरांत पात्रता रखने वाले हितग्राहियों की सूची तैयार की जायेगी, जिसमें निम्नानुसार आरक्षण दिया जायेगा :-

वाणिज्यिक परिसर, नया राखी सेक्टर-25,				
dgy l q; k	oxbkj vkj {k.k			
	v-t-tk@ v-tk-	v-fi-oxl	fo/kok@ ifjR; drk	l keU; Js kh
01	02	03	04	05
4	1	-	-	3

4-5 परियोजना प्रभावित वर्ग में पात्रता सूची के मध्य लॉटरी द्वारा आबंटन होगा।

5-0 i hfe; e , oa Hk&HkVd &

5.1 दुकानों का औसत आकार एवं प्रीमियम vud ph&, d मे संलग्न है।

5.2 आबंटिती को कुल प्रीमियम राशि का 25 प्रतिशत आबंटन के 90 दिन के भीतर जमा कर लाइसेंस अनुबंध निष्पादित करना होगा।

5.3 आबंटिती द्वारा कुल प्रीमियम राशि का 25 प्रतिशत आबंटन के 90 दिनों के भीतर जमा नहीं कर सकने पर, उचित कारण होने पर अधिकतम

180 दिनों का समय विलंब की अवधि के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज राशि जमा किये जाने की शर्त पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा समयावधि में वृद्धि की स्वीकृति दी जा सकेगी। समयावधि में दी गई वृद्धि के बाद भी राशि जमा नहीं किये जाने पर आबंटन की स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

- 5.4 आबंटिती द्वारा कुल प्रीमियम की शेष राशि एकमुश्त अथवा दस वार्षिक किस्तों में ब्याज प्रभार सहित भुगतान की जा सकेगी। वार्षिक किस्तों पर जमा करने की स्थिति में शेष राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ किस्त की राशि जमा करना होगा। प्रीमियम की संपूर्ण राशि जमा करने के पश्चात् दुकान का लीज अनुबंध निष्पादित कर पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
- 5.5 लीज पर आबंटित दुकान के लिये प्रीमियम का 2% वार्षिक भू-भाटक आबंटिती द्वारा अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा उसके पूर्व भुगतान करना होगा। विलम्ब की स्थिति में 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अधिभार आरोपित होगा।
- 5.6 वार्षिक किस्त ब्याज सहित प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह की 15 तारीख तक जमा करना होगा।
- 5.7 किस्त की राशि ब्याज सहित, निर्धारित समय पर जमा नहीं करने पर विलंब की अवधि के लिए देय किस्त पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज विलंब प्रभार के साथ देय राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाने पर जमा की जा सकेगी। उक्त अवधि में भी राशि जमा नहीं किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एनआरडीए को अधिकार होगा कि छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल सम्पत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत आबंटन निरस्त कर सम्पत्ति पर पुनःप्रवेश कर लेवे।

## 6-0 vkcà/u dh vU; 'krî %&

- 6.1 जिस व्यक्ति को दुकान का आबंटन किया गया है, उसे स्वयं दुकान में व्यवसाय चलाना होगा या किन्हीं कारणों से यदि वह स्वयं दुकान व्यवसाय करने में असमर्थ हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्व अनुमति से वह किसी अन्य को, लीज की शर्तों के अध्याधीन किराये पर दे सकेगा।
- 6.2 आबंटिती द्वारा दुकान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 6.3 आबंटिती द्वारा आबंटन किये गये दुकान के अलावा अन्य कोई स्थान पर सामान प्रदर्शित नहीं किया जायेगा न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जायेगा। आबंटिती केवल आबंटन किये गये स्थान में ही व्यवसाय

- करेगा। आबंटित स्थान से बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाये जाने पर दुकान का लीज निरस्त किया जा सकेगा।
- 6.4 आबंटिती द्वारा दुकान का रख-रखाव एवं रंगाई-पोताई एवं मरम्मत स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।
- 6.5 आबंटिती को विद्युत फीटिंग और बिजली बिल स्वयं वहन करना होगा। साफ सफाई, जल प्रदाय एवं सिवरेज तथा अन्य यूजर्स चार्जस का भुगतान समय पर करना होगा।
- 6.6 किन्ही कारणों से लीज निरस्त कर दिये जाने पर या लीज की अवधि समाप्त हो जाने पर आबंटिती को दुकान आबंटन पूर्व की स्थिति में खाली कर वापस सौंपना होगा। आबंटिती द्वारा जमा की गई, प्रीमियम की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- 6.7 आबंटिती को दुकान के भीतर एवं आस-पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा और कूड़ादान रखना होगा तथा कूड़ा कचरा एकत्रित कर एनआरडीए द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर उसका निष्पादन करना होगा अन्यथा दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
- 6.8 आबंटित स्थान पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाया जाना प्रतिबंधित है। आबंटिती केवल अपनी दुकान से संबंधित विज्ञापन निर्धारित आकार में एनआरडीए से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लगायेगा।
- 6.9 आबंटिती द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार करों का भुगतान किया जावेगा।
- 6.10 आबंटिती द्वारा दुकान में मादक, विस्फोटक या विधि द्वारा वर्जित अन्य कोई वस्तु का संग्रहण क्रय-विक्रय नहीं किया जावेगा।
- 6.11 लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर एनआरडीए को लाइसेंस निरस्त कर दुकान रिक्त कराकर कब्जा लेने का अधिकार होगा।
- 6.12 किसी तरह की विवाद की स्थिति में प्राधिकारी का निर्णय उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।
- 6.13 छ.ग. विशेष (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम 2008 के प्रावधान बंधनकारी होगी।

ef; dk; ï kyu vf/kdkjh

vud ph&, d

okf.kfT; d i fj l j] u; k jk[kh l DVj&25] u; k jk; i j ea  
fLFkr fofHkUu vkdkj ds nplkuka dk vkca/u

u; k jki j ea i fj; kst uk i Hkkfor i fjokjka dks nplkuka ds vkca/u grq  
nplkuka dk foj . k

okf.kfT; d i fj l j] u; k jk[kh l DVj&25				
nplku Øekad	vkdkj ketVj ea	dy {ks=Oy	i hfe; e dh dy jkf'k %: lk; s ea	i hfe; e dh 25 i fr'kr jkf'k %: lk; s ea
01	02	03	04	05
1	3.2 X 4.0	12.80	4,63,872 / -	1,15,968 / -
10	3.2 X 4.0	12.80	4,63,872 / -	1,15,968 / -
13	4.8 X 3.2	15.36	5,56,646 / -	1,39,162 / -
22	3.2 X 4.0	12.80	4,63,872 / -	1,15,968 / -



, e-vkj-Øekd-----@fnukd-----

u; k jk; i g ea i fj; kstuk i Hkkfor i fjokjka dks nqkuka ds vkca/u grq vkonu i i =

i fr]

ed; dk; i kyu vf/kdkjh  
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी  
राजधानी परिसर, सेक्टर-19,  
नया रायपुर (छ.ग.)

पासपोर्ट  
आकार का  
स्वप्रमाणित  
फोटो चिपकाएं

fo" k; %& okf.kfT; d i fj l j] u; k jk[kh l DVj&25] u; k jk; i g ea fofHkUu  
vkdkj ds nqkuka ds vkca/u grq vkonuA  
l anHk%& vkonu vka=.k l ipuk Øekd 2123@6½@631@l a nk@, uvkjMh, @2015  
u; k jk; i g] fnukd 20@04@2016A

egkn; ]

fuonu g\$ fd ea mijDr l anHk foKki u ea mYyf[kr nqku  
Øekd-----dk vkca/u fu/kkfjr fu; eka , oa 'krka ds varxr iklr djus  
grq fuEukfdr tkudkj i Lrq dj jgk g@dj jgh g%&

- 1- vkond dk uke %& -----
- 2- fi rk dk uke %& -----
- 3 ekrk dk uke %& -----
- 4 i fRu@i fr dk uke %& -----
- 5- tkfr %& -----
- 6 vkj{k.k oxl & %di; k iæk.k i = l {ke vf/kdkjh }jk tkjh gkuk vfuok; l  
g\$ ftl dh l R; kfi r i fr l ayXu dj½ %& -----  
¼v½ vuq ipr tkfr@vuqtu-tk-  
¼c½ vU; fi NMk oxl  
¼l ½ fo/kok i fjR; Drk efgyk  
¼n½ fodykx
- 7- tllefrfFk %& -----

- 8- 'kqkf.kd ; kx; rk %& -----
- 9- orëku 0; ol k; %& -----
- 10- i w k z i r k %& -----
- ¼1½ xke %& -----
- ¼2½ i kLV vkfQI %& -----
- ¼3½ rgl hy %& -----
- ¼4½ fi u dkM %& -----
- ¼5½ Qku@ekckbly ua %& -----

- 11- , uvkjMh, dks gLrkfjr Hkife dk fooj.k %& %di; k iæk.k i = dh l R; kfi r i fr l ayXu djA½
- ¼1½ xkaø dk uke %& -----
- ¼2½ gYdk uEcj %& -----
- ¼3½ Hkife Lokeh dk uke %& -----
- ¼4½ {ks=Qy %& -----, dM+ ea
- ¼5½ [kl jk uæj %& -----
- ¼6½ , uvkjMh, dks gLrkfjr o"kl %& -----
- ¼7½ i klr epkots dh jkf'k %& -----
- ¼8½ vkond dk Hkife Lokeh l s fjLrk -----

vFkok

- 12- u; k jk; ij i fj; kstuk {ks= ds 41 xkeka ea jgus dk emy fuokl h iæk.k i = tks  
l {ke vf/kdkjh }kj k tkjh fd; k x; k gkj ernkrk igpku i =] vk/kkj dkMz Lo  
vfHkiækf.kr i fr l ayXu djuk gksxA  
@@?kks'k. kk@@

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित जानकारी पूर्णतः सत्य है। मुझे अथवा मेरे परिवार को नया रायपुर क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में कोई दुकान आबंटित नहीं है। मुझे दुकान आबंटन की सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा आवेदन निरस्त किया जावे एवं मेरे विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

दिनांक.....  
स्थान.....

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर

नाम.....  
पता.....  
.....

@@, dy i fjokj ds fy, mn?kks'k.kk i =@@

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं श्री/श्रीमती.....  
पिता/पति .....ग्राम ..... प.ह.न.....  
रा.नि.मं. .... तहसील.....जिला .....का रहने  
वाला/वाली हूँ। .....सदस्य मैं अपने पत्नि एवं बच्चों के साथ रह कर स्वतंत्र रूप से  
अपना जीवन यापन व्यतित कर रहा/रही हूँ।

दिनांक.....  
स्थान.....

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....